2015 का विधेयक संख्यांक 38

[दि आंध्र प्रदेश रिआरगेनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिंदी अनुवाद]

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 22 का संशोधन ।

2014 का 6

2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 22 की उपधारा (1) में, "आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के 50 सदस्यों" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के 58 सदस्यों" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 23 में,--

(i) उपधारा (1) में, "आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के 50 स्थान" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के 58 स्थान" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के खंड (i) में, उपखंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(क) विद्यमान प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	58	20	5	5	20	8";' ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (उक्त अधिनियम), आन्ध्र प्रदेश राज्य का, आन्ध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य में पुनर्गठन करने का उपबंध करने के लिए 1 मार्च, 2014 को अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश की विधान परिषद् में 50 से अनधिक सदस्य और तेलंगाना की विधान परिषद् में 40 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली विधान परिषदों के गठन का उपबंध किया गया है । धारा 22 की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य की विद्यमान विधान परिषद् नियत दिन से ही उत्तरवर्ती राज्यों की दो विधान परिषदों के रूप में गठित की गई समझी जाएगी और विद्यमान सदस्यों को अधिनियम की चौथी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट परिषदों को आबंटित किया जाएगा ।

3. अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, क्रमश: आन्ध्र प्रदेश की विधान परिषद् में 50 स्थान होंगे और तेलंगाना की विधान परिषद् में 40 स्थान होंगे । उक्त धारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 1 का भी संशोधन करती है, जिससे आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् की संरचना का उपबंध किया जा सके ।

4. संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड (1) में यह उपबंध है कि ऐसी परिषद् वाले किसी राज्य की विधान परिषद् में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी । तथापि, किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी । वर्तमान में, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरवर्ती राज्यों की विधान सभाओं में क्रमश: 175 और 119 स्थान हैं । तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् में पहले ही 40 स्थान अर्थात् 119 स्थानों का एक-तिहाई आबंटित

किया जा चुका है । चूंकि, आन्ध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा में 175 स्थानों का एक-तिहाई 58 होता है, इसलिए आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् के स्थानों की संख्या बढ़ाकर विद्यमान 50 से 58 करने के लिए और तदनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की तीसरी अनुसूची की प्रविष्टि 1 को संशोधित करने हेतु अधिनियम की धारा 22 और धारा 23 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

राजनाथ सिंह

नई दिल्ली

16 फरवरी, 2015,

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपबंधों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् के स्थानों की संख्या बढ़ाकर विद्यमान 50 सदस्यों से 58 सदस्य करने हेतु आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है । स्थानों की संख्या में वृद्धि से वेतन, भत्तों और अन्य प्रशासनिक व्यय के मद्दे कुछ अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित होंगे । अतिरिक्त व्यय की पूर्ति आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । इस बाबत भारत की संचित निधि से कोई प्रत्याशित व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 6) से उद्धरण

* * * * * *

विधान परिषदें

उत्तरवर्ती राज्यों के लिए विधान परिषद् ।

22. (1) प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए, संविधान के अनुच्छेद 169 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक-एक विधान परिषद् का गठन किया जाएगा, जो आंध्र प्रदेश विधान परिषद् में के 50 से अनधिक सदस्यों से और तेलंगाना राज्य विधान परिषद् में के 40 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

* * * * * *

विधान परिषदों के बारे में उपबंध ।

23. (1) नियत दिन से ही, क्रमशः आंध्र प्रदेश विधान परिषद् में 50 स्थान और तेलंगाना विधान परिषद् में 40 स्थान होंगे ।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में,-- 1950 का 43

(i) तृतीय अनुसूची में,--

(क) विद्यमान प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	50	17	5	5	17	6"।

* * * * * *

GMGIPMRND—4744LS(CRC)—25-02-2015.